

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] No. 678] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2016/आश्विन 4, 1938 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2016/ASVINA 4, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2016

सं. 46/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 916(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य तथा अन्य वस्तुओं के विनिर्माण हेतु ड्यूटी की रियायती दर पर वस्तुओं को हटाना) नियमावली, 2016 में संशोधन किए जाने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

उक्त नियमावली में, नियम (4) के उप-नियम (5) में ''प्रतिभूति'', शब्द के पश्चात् ''अथवा जमानत'' शब्दों का समावेश किया जाएगा।

[फा. सं. 201/10/2016-सी एक्स- 6]

शंकर प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

नोट:- मुख्य अधिसूचना सं. 20/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 1 मार्च, 2016 को सा.का.िन. 251(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार सा.का.िन. 307(अ) दिनांक 15 मार्च, 2016 के तहत अधिसूचना सं. 22/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया था।

4598 GI/2016 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2016

No. 46/2016 - Central Excise (N.T.)

G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable and Other Goods) Rules, 2016, namely:–

In the said rules, in rule 4, in sub-rule (5), after the word "surety", the words, "or security" shall be inserted.

[F. No. 201/10/2016-CX.6]

SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 20/2016-Central Excise (N.T), dated the 1st March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 251(E), dated the 1st March, 2016 and last amended by Notification No. 22/2016-CE (NT) dated 15th March, 2016 vide number G.S.R. 307(E), dated the 15th March, 2016